न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/606

1. नन्दसिंह उर्फ भंवर सिंह
2. श्याम सिंह
3. महावीर सिंह
4. इन्द्रसिंह पिसरान स्व0 मोहन सिंह जी जाति राजपूत निवासीगण ग्राम हाथीखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. श्रीमती लक्ष्मी कुंवर पुत्री श्री मोहन सिंह जी पत्नी शिवराज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गुलखेडी तहसील खानपुर जिला झालावाड ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्री भूपेन्द्र सिंह आत्मज स्व0 मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हाथीखेडा पोस्ट नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.11.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत ग्राम हाथीखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 11 की 0.06 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 12 की 0.81 हैक्टर कुल दो किता की 0.87 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 से सहखातेदारी की है जिसमें प्रत्येक का 1/6 – 1/6 हिस्सा है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी का विभाजन करवाकर अपने हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि को पृथक अपने खाजे दर्ज करावे ।

3. अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर प्रत्येक का 1/6 हिस्सा विभाजित कर प्रत्येक का खाता पृथक–पृथक किया जावे ।

4. तत्पश्चात् प्रतिवादी क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.03.2018 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि उक्त आराज़ी के अतिरिक्त पक्षकारान का ग्राम चक बम्बूलिया एवं ग्राम आकोदिया में स्थित आराजी में भी हक व अधिकार निहित चला आ रहा है कानून के मुताबिक समस्त जोइन्ट होल्डिंग का दावा बाबत् विभाजन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है । इस कारण वादीगण का वाद पोषनीय नहीं है । मोहन सिंह जी ने अपने जीवनकाल में अपने पॉचों पुत्रों एवं पुत्री के मध्य आपसी सहमति से मौखिक रूप से 15 वर्ष पूर्व पारिवारिक विभाजन कर दिया था व पारिवारिक विभाजन के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 को ग्राम हाथीखेडा की वादग्रस्त आराजी प्राप्त हुई थी । शेष दोनों ग्रामों की भूमि वादीगण को प्राप्त हुई थी । इस प्रकार पक्षकारान के पिता श्री मोहनसिंह जी के जीवनकाल में ही आपसी सहमति से किये गये उक्त मौखिक पारिवारिक विभाजन को पक्षकारान ने एक्ट अपॉन कर लिया था । ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा पुनः बंटवारा करवाये जाने का वाद मेन्टेनेबल नहीं है। अतः प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद खारिज फरमाया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.11.2018 के द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.11.2018 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण अपीलान्ट ने अपने जवाब उल जवाब में स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर दिया था कि चक बम्बूलिया की भूमि का विभाजन भी कर दिया जावे । ऐसी स्थिति में दावे को इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि जवाब उल जवाब भी दावे का ही भाग माना जाता है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी की यह भी जवाबदेही रही है कि पक्षकारों के मध्य पक्षकारों के पिता आपसी सहमति से बंटवारा कर गये थे जिसमें विवादित भूमि हाथीखेडा की प्रतिवादी के हिस्से में आयी थी तथा शेष भूमि वादीगण के हिस्से में आई थी इस तथ्य को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पर था । इस सम्बन्ध में न्यायालय को तनकी बनाकर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.11.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादीगण अपीलान्ट ने अपने जवाब उल जवाब में स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर दिया था कि ग्राम ने चक बम्बूलिया की भूमि का विभाजन भी कर दिया जावे । ऐसी स्थिति में दावे को इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि जवाब उल जवाब भी दावे का ही भाग माना जाता है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी की यह भी जवाबदेही रही है कि पक्षकारों के मध्य पक्षकारों के पिता आपसी सहमति से बंटवारा कर गये थे जिसमें विवादित भूमि हाथीखेडा की प्रतिवादी के हिस्से में आयी थी तथा शेष भूमि वादीगण के हिस्से में आई थी इस तथ्य को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पर था । इस सम्बन्ध में न्यायालय को तनकी बनाकर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था । आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र का निरस्तारण करने में सिर्फ दावे में अंकित तथ्यों को देखा जा सकता है । जवाबदावा एवं अन्य किसी दस्तावेज को नहीं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.11.2018 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2012 (2) पेज 1357, आरआरटी 2011 (2) पेज 1203 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विभाजन का दावा समस्त आराजियात को शामिल किया जाकर पेश किया जाना चाहिए था । वादी की ओर से सिर्फ एक गॉव की आराजी अंकित करते हुए दावा पेश किया गया था जो मेन्टेनेबल नहीं था । प्रतिवादी रेस्पोडेन्टगण ने जवाबदावा पेश किया था । इसके उपरान्त वादीगण ने जवाब उल जवाब पेश किया था । जवाब उल जवाब को दावे का पार्ट नहीं माना जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर दावा खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.11.2018 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2018 (25) पेज 276, डीएनजे 2014 (एससी) पेज 317, डीएनजे 2014 (3) (राज0) पेज 1271 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने एक दावा बाबत् विभाजन ग्राम हाथीखेडा की आराजी खसरा नम्बर 11 की 0.06 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 12 की 0.81 हैक्टर कुल दो किता की 0.87 हैक्टर आराजी के बाबत् पेश किया था जिसका जवाबदावा प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत किया था और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तनकीयात भी कायम की गई थीं जो पृष्ठ संख्या 18 पर कायम हैं । जवाबदावे में प्रतिवादीगण ने यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के अलावा ग्राम चक बम्बूलिया एवं ग्राम आकोदिया की आराजियात भी है और पक्षकारान के पिता मोहन सिंह ने अपने जीवनकाल में मौखिक पारिवारिक विभाजन कर दिया था जो एक्ट अपॉन हो गया है । ग्राम चकबम्बूलिया एवं ग्राम आकादिया की आराजियात शामिल नहीं होने के कारण दावा खारिज होने योग्य है ।

11. इसके आलवा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है और यह कथन किया है कि पूर्व में मौखिक पारिवारिक विभाजन हो गया है जो एक्ट

अपॉन हो गया है अब पुनः बंटवारे का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । उक्त आराजी के अलावा वादीगण और प्रतिवादीगण की चक बम्बूलिया एवं ग्राम आकोदिया की अन्य आराजी को शमिल कर समस्त आराजी के बाबत् विभाजन का दावा प्रस्तुत करना चाहिए था इस कारण यह दावा मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दावा वादी खारिज किया है ।

12. आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय दावे में अंकित तथ्यों को ही विधिक रूप से देखा जा सकता है । दावे में किये गये प्रकथनों के बाहर जाकर आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत दावा खारिज नहीं किया जा सकता । प्रकरण में जवाबदावा पेश किया जा चुका है और तनकीयात भी कायम हो चुकी हैं । पूर्व में किये गये मौखिक समझौते के एक्ट अपॉन हो जाने से व अन्य गॉव की आराजी का उल्लेख दावे में न कर जवाब उल जवाब में करने के आधार पर दावा मेन्टेनेबल है अथवा नहीं यह तनकी बनाकर साक्ष्य के आधार पर ही तय किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में दावे में किये गये प्रकथन से बाहर जाकर आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । आरआरटी 2012 (2) पेज 1357, आरआरटी 2011 (2) पेज 1203 यहॉ चस्पा होती हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.11.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए पत्रावली प्राप्ति के 06 के अन्दर नये सिरे विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 29.04.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा